

**THE UTTAR PRADESH CONSOLIDATION OF HOLDINGS
(AMENDMENT) ACT, 1970**

(U. P. ACT No. 31 OF 1970)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Jot Chakbandi
(Sanshodhan) Adhiniyam, 1970.]

AN
ACT

to further to amend the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings (Amendment) Act, 1970.

Short title.

2. After section 41 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 41-A in U.P. Act V of 1954.

“41-A. Affidavits to be filed in any proceedings under this Act, including an appeal or revision, shall be made in the same manner and conform to the same requirements as affidavits filed under the Code of Civil Procedure, 1908 and may be verified by any officer or other person appointed by the High Court under clause (b) or by an officer appointed by any other court under clause (c) of section 139 of the said Code.”

3. After section 52 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Insertion of new section 52-A.

“52-A. (1) In the case of a unit in relation to which a notification under sub-section (1) of section 52 has been issued, the Collector may, if he is of opinion that there exists no provision or inadequate provision of Chak Roads or Chak Guls in the unit, and shall, if a representation in that behalf by not less than ten per cent of the total number of tenure-holders is made to him within six months of the said commencement, proceed to take action under sub-section (2), anything to the contrary contained in section 52 notwithstanding.

(2) The Collector shall cause a notice of the proposal to take action under this section and also of the representation, if any, received under sub-section (1) to be given in the unit by beat of drum and in such other manner, if any, as he thinks fit, and direct any Consolidation Officer to inspect the locality and take reasonable steps to ascertain the wishes of the tenure-holders, or, as the case may be, of such of them as have not joined in the representation, and to make such other inquiry into the matter as he thinks fit.

(3) Such Consolidation Officer shall make a report to the Collector on the advisability or otherwise of drawing up a plan making provision or, as the case may be, more adequate provision for Chak Roads or Chak Guls in the unit, and the Collector on being satisfied after considering such report that it is necessary or expedient so to do, shall cause a draft plan to be prepared.

[*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated June 12, 1970.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on 19th June, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on June 29, 1970.)

(Received the assent of the President on September 7, 1970, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated September 16, 1970.)

(4) The Assistant Consolidation Officer shall thereupon, after ascertaining informally the wishes of as many tenure-holders of the unit as he considers practicable, prepare a draft plan in the prescribed form proposing such provision or additional provision of Chak Roads or Chak Guls as may be necessary. In preparing the draft plan the Assistant Consolidation Officer shall have regard to the following principles, namely :—

(a) That as far as practicable, provision of Chak Roads and Chak Guls should be made primarily by utilising land vested in the Gaon Sabha and secondarily out of land held by those tenure-holders whose Chaks are connected with the proposed Chak Roads or Chak Guls, and in the last resort, out of any other land.

(b) The re-arrangement of Chaks should be made only to the extent it is really necessary for making provision of Chak Roads and Chak Guls with the minimum possible dislocation in the Consolidation Scheme already confirmed.

(5) The draft plan prepared under sub-section (4) shall be published in the prescribed manner.

(6) Any person affected by the draft plan may, within 15 days from the date of such publication, file an objection in writing before the Consolidation Officer.

(7) (a) The Consolidation Officer shall dispose of all objections after notice to the parties concerned.

(b) Any person aggrieved by the order of the Consolidation Officer under clause (a) may, within 15 days from the date of the order, file an appeal before the Settlement Officer, Consolidation, whose decision thereon shall be final.

(c) Before deciding the objections under clause (a) the Consolidation Officer, and before deciding the appeal under clause (b), the Settlement Officer, Consolidation, may make a local inspection of the site in dispute after notice to the parties concerned.

(d) It shall be lawful, for reasons to be recorded in writing, for the Consolidation Officer under clause (a) and the Settlement Officer, Consolidation, under clause (b) to modify the draft plan in accordance with the principles specified in sub-section (4) and for the Settlement Officer, Consolidation, to remand the same either to the Consolidation Officer or to the Assistant Consolidation Officer with such directions as he thinks fit.

(8) The Settlement Officer, Consolidation, shall confirm the plan—

(a) if no objections are filed within the time specified in sub-section (6) ; or

(b) where such objections are filed, after such modifications or alterations as may be necessary in view of the orders passed on objections and appeals under sub-section (7).

(9) The plan confirmed under sub-section (8) shall be published in the unit in the prescribed manner and shall come into force on the date of such publication, and thereupon the Consolidation Scheme and the allotment orders made final under section 23 shall stand amended to the extent indicated in the plan, and fresh allotment orders shall be issued by the Settlement Officer, Consolidation, accordingly.

(10) The provisions of Chapter IV shall *mutatis mutandis* apply in relation to the said plan as they apply in relation to the final Consolidation Scheme, and for the purposes of application of Chapter IV, land contributed for Chak Roads and Chak Guls provided under this section shall be deemed to be land contributed for public purposes under section 8-A."

उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 19 जून, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 जून, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 सितम्बर, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 16 सितम्बर, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी अधिनियम, 1953 का अप्रैतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी अधिनियम, 1953, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 41 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1954 में नई धारा 41-क का बढ़ाया जाना

"41-क—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत कोई अपील या शपथ पत्र पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन कोई शपथ पत्र दिया जाता है और उनका सत्यापन उक्त संहिता की धारा 139 के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।"

3—मूल अधिनियम की धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

नई धारा 52-क का बढ़ाया जाना

"52-क—(1) किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने के पूर्व चक मार्गों तथा चक गूलों के लिए विशेष व्यवस्था कलेक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि कटक में चक मार्गों या चक गूलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है तो, उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही कर सकता है, और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक से छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम से कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाय, तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करेगा।

(2) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के प्रस्ताव की, और यदि कोई हो, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा, और किसी चकवन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों की, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्त-युक्त कदम उठाने, और मामले में ऐसी अन्य जांच करने, जिसे वह उचित समझे, का निर्देश देगा।

(3) ऐसा चकवन्दी अधिकारी कटक में चक मार्गों या चक गूलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को एक रिपोर्ट देगा, और कलेक्टर, उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 12 जून, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

(4) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतन खातेदारों की, वह व्यवहारगम्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें चक मार्गों या चक गूलों की लंबाई अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योक्त प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) जहाँ तक व्यवहारगम्य हो, चक मार्गों और चक गूलों की व्यवस्था गांव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा भूमि में से जिनके चक प्रस्तावित चक मार्ग या चक गूल से सम्बन्धित हों, और किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिये।

(ख) चकों का पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक जहाँ तक वह चक तथा चक गूलों की व्यवस्था करने के लिये वास्तविक रूप में आवश्यक हो, और ही पुष्टिकृत चकबन्दी योजना में कम से कम व्यतिक्रम किये बिना, किया जाना चाहिए।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार की गई योजना का प्रारूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 15 दिनों के भीतर चकबन्दी अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति कर सकता है।

(7) (क) चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से दृग्घ कोई भी आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खंड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी अधिकारी और खंड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खंड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खंड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, के लिए उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपधारा (4) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना, चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी के लिए उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे प्रतिप्रेषित करना, वैध होगा।

(8) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी—

(क) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाय; या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायें तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो उपधारा (7) के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो;

योजना की पुष्टि कर देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन पुष्टिकृत योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी और तदुपरान्त धारा 23 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से बनी चकबन्दी योजना और दी गई प्रदेशन आज्ञायें योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेंगी और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा नई प्रदेशन आज्ञायें जारी की जायेंगी।

(10) अध्याय 4 के उपबन्ध उक्त योजना के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अन्तिम चकबन्दी योजना के संबंध में लागू होते हैं और अध्याय 4 को लागू किये जाने के प्रयोजनों के लिए, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक मार्गों और चक गूलों के लिए दी गई भूमि धारा 8-क के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी गई भूमि समझी जायगी।”